

संचिका संख्या-वि0(27) पे0 को0(भ0नि0ब्याज)-20/2021-_____/वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक-

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 जुलाई, 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-340(पें0)/वि0, दिनांक 24.04.2026 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम तिमाही दिनांक 01.04.2026 से 30.06.2026 तक की अवधि के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू किया गया है ।

(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग(बजट प्रभाग) के संकल्प- एफ संख्या-5(3)-बी(पी.डी.)/2023 दिनांक 03.07.2026 द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान दिनांक 01.07.2026 से 30.09.2026 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) निर्धारित की गयी है ।

(3) अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार सामान्य भविष्य निधि एवं अन्य सदृश निधि में अभिदाताओं के संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान दिनांक 01.07.2026 से 30.09.2026 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू होगी ।

(4) पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रचना पाटिल)

सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांक-वि०(२७)पे०को०(भ०नि०ब्याज)-२०/२०२१-_____/वि०, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार, महालेखाकार(लेखा एवं हक०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांक-वि०(२७)पे०को०(भ०नि०ब्याज)-२०/२०२१-_____/वि०, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, पटना/ मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/ वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/ सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांक-वि०(२७)पे०को०(भ०नि०ब्याज)-२०/२०२१-_____/वि०, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, बिहार विधान परिषद्/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांक-वि०(२७)पे०को०(भ०नि०ब्याज)-२०/२०२१- ८०४ (पे०) /वि०, पटना, दिनांक १२-८-२०२६

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट/ सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


१०-८-२६
सचिव(व्यय) ।

